भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 293

उत्तर देने की तारीखः 27.11.2024

अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

293. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृति पर वास्तविक व्यय में भारी गिरावट की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जो वर्ष 2019-20 में बजट राशि के 68% से घटकर वर्ष 2021-22 में 40% रह गई है;

(ख) बैकलॉग को शामिल किए जाने के बावजूद वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों की संख्या में 30 प्रतिशत की कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए निधियों के समय पर संवितरण और अध्येतावृत्तियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए किन उपायों पर विचार किया गया है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): कोविड-19 महामारी के कारण अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएससी) के तहत वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में व्यय में 70.94 करोड़ रुपये (2019-20: 204.04 करोड़ रुपये- 2020-21: 133.10 करोड़ रुपये) की कमी आई है। इसका समाधान करने के लिए, एनएफएससी के तहत जारी अवार्ड पत्र की वैधता अवधि को दिनांक 06.09.2023 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से एक वर्ष और तक बढ़ा दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 से एनएफएससी के तहत व्यय में सतत वृद्धि हो रही है। यह व्यय, वर्ष 2021-22 में 127.85 करोड़ रुपये, वर्ष 2022-23 में 134.07 करोड़ रुपये और वर्ष 2023-24 में 199.82 करोड़ रुपये था।

(ख): कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संयुक्त राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट) आयोजित करने में हुए विलंब के कारण यह गिरावट आई थी।

(ग): योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा फैलोशिप को जारी रखने की पुष्टि सेमेस्टर के प्रारंभिक माह के 10 दिनों के भीतर सेमेस्टर आधार पर वर्ष में दो बार की जाती है। इस प्रमाणन के आधार पर, विश्वविद्यालय के किसी भी हस्तक्षेप के बिना प्रत्येक महीने की 15 तारीख के भीतर शोध छात्रों को फेलोशिप जारी की जाती है।

शोध छात्रों द्वारा फैलोशिप का दावा ऑनलाइन किया जाता है और दावा प्राप्त होने के पश्चात फैलोशिप की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से शोध छात्रों के आधार समर्थित बैंक खाते में जारी की जाती है। एनएफएससी योजना के तहत प्रतिवर्ष 2000 स्लॉट्स निर्धारित किए गए हैं और ये स्लॉट्स विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा आरक्षण नीति के अनुसार पहले से चयनित अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या के अतिरिक्त हैं।
